

प्रारूप ख

(लिखिते नियम 8 (2) और (3))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
जिला झुझुनु (राज.)

क्रमांक/राजस्व/

दिनांक

- संपरिवर्तन आदेश :-

श्री श्याम विधानिकेन समिति इंडोद जिरये सुमित सचिव ईश्वर सिंह
पुत्र जेठाराम जाट निवासी कुहाड़वात तह. बुडाना

तहसील बुडाना के आवेदन पर उसकी खातेदार अधिवृत में धारित कृषि भूमि का राजस्व भू-राजस्व (ग्रामीण संज्ञा में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8 (3) के अधीन कृषि अकृषि प्रयोजन के लिए उसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टता नांवे दी गयी है-

1. आवेदन खातेदार अधिकारी का ~~परिचय~~ श्री श्याम विधा निकेन समिति इंडोद जिरये नाम, पिता/पति के नाम सहित सुमित सचिव ईश्वर सिंह पुत्र जेठाराम जाट निवासी कुहाड़वात तह. बुडाना पूरा पता।

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति, जन जाति का सदस्य है

3. संपरिवर्तन भूमि का खीरा

(क) ग्राम/प्राय पंचायत/

तहसील का नाम

(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक

खसरा स का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(ग) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल का

उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन

क्षेत्रफल हेक्टर या वर्ग मीटर में

टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शा का सतगता का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सतगता कर।

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन

5. सहाय प्रीमियम की दर

6. बालान की सहाय तथा तारीख सहित

जमा कराई गई प्रीमियम की राशि

7. बालान में तथा तारीख सहित प्रारित

जमा कराई हो या जमा कराई गयी राशि

पवेरी कला/पवेरी कला

तहसील बुडाना

1639/3 रकबा 0.11 हे. क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर

वाणिज्यक प्रयोजनार्थ महाविधालय

दिनांक 16, 17

दिनांक 6.6.06

8,000/- 8,000/- 16,000/- रुपये

उपखण्ड अधिकारी

8. चालान की संख्या तथा तारीख साहित्यगत
यदि कोई हो तो जमा कराई गई राशि

9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12
के अधीन जारी किया गया है।

10. अन्य विशिष्टता यदि कोई हो -

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा -

- (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धोखाधण का सम्बन्ध में जायज प्रा. 12
- (3) नियम 4 में तथा तर्जित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
- (4) लक्ष्यप्रयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन में उपयोग निहित प्राधिकारी से विशेष विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।

5. लक्ष्य सीमाओं के यह ग्राम के राजस्व न क्षेत्रों में यथादीर्घत ग्राहकीण रास्ते 20 मीटर के भीतर निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

(6) कॉलेज बिल्डिंग के परिसर में 50 वर्ग/लीटर क्षमता के रूफ टॉप के लिए निर्माण कार्य के लिए संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है।
उपरोक्त अधिकारी
खेतड़ी
जिला कुश्नू, राजस्थान

क्रमांक / राजस्व / 1047-50

दिनांक - 13-6-06

प्रतिनिधि

- 1. श्रीमान कलेंक्टर साहब, जिला कलेंक्टर कार्यालय कुश्नू की सूचनाएं प्रेषित है।
- 2. श्री राजस्व लेखाकार तहसील खेतड़ी / बुहाना
- 3. श्री पटवारी हत्थक मन्वकड प्येरी कला
- 4. प्रशासक-वाग वमागत प्येरी कला

पतागत-राजिनि खेतड़ी / बुहाना

5. आवेदक श्री श्री श्यामविद्या निवेदन समिति इंडोद जरिये सत्यव शिवर सिंह पुत्र जेठाराम निवासी कुहाडवात तह. बुहाना जिला कुश्नू राज. 1

उपरोक्त अधिकारी
सुपरी अधिकारी खेतड़ी
जिला कुश्नू (राजस्थान)

प्रारूप ख

(संश्लेषित नियम 6 (2) और (3))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
जिला झुझुनू (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 1036-47

दिनांक 24/6/15

संश्लेषित आदेश :-

श्री श्री प्रयाग विद्या निवेशन समिति इंडलौद जीरये स्थापित सीधर सिंह पुत्र जेठूराम जाट निवासी कुहाड़वात तह. बुढाना

तहसील बुढाना क आवेदन पर अथवा आवेदनी अधिदत में धारित कृषि भूमि का राजस्थान पृ-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 8 (2)/8 (3) के अधीन कृषि अकृषि प्रयोजन के लिए उसको द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टता नीचे दी गयी है-

1 आवेदन चातेदार अभिचारी का श्री प्रयाग विद्या निवेशन समिति इंडलौद जीरये नाम, पिता / पति के नाम सहित स्थापित सीधर सिंह पुत्र जेठूराम जाट निवासी कुहाड़वात तह. बुढाना पूरा पता।

2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति, जन जाति

3 संपरिवर्तन भूमि का न्योरा

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/

तहसील का नाम

पंचेरी कला/पंचेरी कला

तहसील बुढाना

(ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक

खसरा स. का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

1639/4 रकबा 0.25 है 2500

(ग) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल का

वर्ग मीटर

उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन

क्षेत्रफल हेक्टर या वर्ग मीटर में

दिम्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को शर्तित हुए राजस्व नक्शा का मतभेद को सम्यक रूप में सत्यापित प्रति सतर्क कर।

4 संपरिवर्तन का प्रयोजन

5 सदेव प्रानियम की दर

6 बालम की शरय्या तथा तारीख

ज्या बरसई गई प्रतियोग्य की राशि

7 बालम न. तथा तारीख सहित प्राप्त

यदि कोई भी का जमा बरसई नहीं

वाणिज्यिक प्रयोजनाय महाविद्यालय

नं. 118-119

दिनांक 16.6.15

18,000/- + 18,000/- = 36,000/- रुपये

8. मालान की सरख्या तथा तारोख सहित व्याज

यदि कोई हो तो जमा कराई मई राधा

9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12

के अधीन जारी किया गया है।

10. अन्य विशिष्टता यदि कोई हो -

11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

(1) उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना न विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम वापस कराया जा सकेगा।

(3) नियम 4 में तथा तसित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

(4) साक्षीप्रयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग विहित प्राधिकारी से विरुद्ध किंवा अन्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जावेगा।

5] ~~सड़क~~ सीमाओं के साथ ग्राम के ~~सड़क~~ नदी में अधादीपत प्राचीण रास्ते 20 मीटर के भीतर निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी का मोहर

sd
उपर्युक्त अधिकारी
खेती
जिला सुझुनु (राजस्थान)

क्रमांक/राजस्थ/ 1036-47

दिनांक 24-6-15

प्रतिलिपि

1. श्रीमान कलेक्टर सहाय जिला कारखाने सचिवालय सुझुनु जिला सुझुनु प्रेषित है।

2. श्री राजस्थ लेखाकार जहसील खेतडी - सुझुनु

3. श्री पटवारी हल्वा ~~खेरी कला~~

4. प्रशासक ग्राम पंचायत ~~खेरी कला~~

महायत समिति खेतडी/सुझुनु

5. आवेदक श्री श्री श्यामीलका निवेदन समिति सुझुनु जिले स्थित सचिव इंचार
पुत्र जेठूराम निवासी कुहाड़ा तहसील सुझुनु जिला सुझुनु । राज. 1

उपर्युक्त अधिकारी
सुझुनु जिला सुझुनु (राजस्थान)